सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 271/2017

दायर दिनाँक 26.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकँवर पुत्री स्वर्गीय विजयसिंह पत्नी अर्जुनसिंह, उम्र—50साल, जाति—राजपूत, निवासी—मड़ाम, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रहलादसिंह पुत्र विजयसिंह, 2. भगवानकँवर कँवर पत्नी जगदीशसिंह, 3. देशराजसिंह पुत्र जगदीशसिंह, 4. भरतसिंह पुत्र जगदीशसिंह, 5. अशोकसिंह पुत्र जगदीशसिंह, 6. गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह, 7. शिम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह, 8. सुमेरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 9. नाथूसिंह पुत्र खींवसिंह, 10.दिलीपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 11.शुभकरणसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 12.ममिलाकँवर पत्नी रघुवीरसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—मड़ाम, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13.रतनकँवर पुत्री विजयसिंह पत्नी तानसिंह, निवासी—मड़ाम, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—सेवदड़ा, तहसील—धोद, जिला—नागौर, राजस्थान, 14.किरणकँवर पुत्री विजयसिंह पत्नी रतनसिंह, निवासी—मड़ाम, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी—हुडेरा, तहसील—फतेहपुर, जिला—सीकर, राजस्थान, 15.टँवरसिंह पुत्र श्योदानसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—सेवदड़ा, तहसील—धोद, जिला—सीकर, राजस्थान, 16.कैलाशकँवर पुत्री श्योदानसिंह, जाति—राजपूत, निवासी—सेवदड़ा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

	:	तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान, 17.चेतनकँवर पुत्री श्योदानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सेवदड़ा, तहसील–धोद, जिला–नागौर, राजस्थान, 18.प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19.प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21.उप पंजीयक, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री चेनाराम थोरी, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **30.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 तथा 13 ता 17, स्वर्गीय विजयसिंह पुत्र धनसिंह के जायज वारिशान् हैं।

शरहद मड़ाम में खसरा नम्बर 78 रकबा 32.11 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 07.11 बीघा व खसरा नम्बर 93 रकबा 03.02 बीघा तथा खसरा नम्बर 128 रकबा 02.01 बीघा भूमि तथा खसरा नम्बर 125 रकबा 23.09 बीघा व खसरा नम्बर 145 रकबा 06.14 बीघा व खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

146 रकबा 15.17 बीघा तथा खसरा नम्बर 197 रकबा 03.19 बीघा भूमि अवस्थित है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मड़ाम में खसरा नम्बर 78 रकबा 32.11 बीघा व खसरा नम्बर 91 रकबा 07.11 बीघा व खसरा नम्बर 93 रकबा 03.02 बीघा तथा खसरा नम्बर 128 रकबा 02.01 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/24 भाग तथा खसरा नम्बर 125 रकबा 23.09 बीघा व खसरा नम्बर 145 रकबा 06.14 बीघा व खसरा नम्बर 146 रकबा 15.17 बीघा तथा खसरा नम्बर 197 रकबा 03.19 बीघा भूमि में से हिस्सा 1/6 भाग की खातेदारी वादी के घोषित की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 07 ता 21 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय के अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर से वाद में दिनाँक 12.12.2017 को राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री चेंनाराम थोरी ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील सुश्री ऐलिजा पीपावत ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम मड़ाम सम्वत् 2039–2042 की प्रमाणित प्रतिलिपि (दो), जमाबन्दी ग्राम मड़ाम सम्वत् 2044–2047की प्रमाणित प्रतिलिपि (दो), जमाबन्दी ग्राम मड़ाम सम्वत् 2072–2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रकरण में उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि, प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है तथा उसी अनुसार दावा डिक्री किया जावे। वकील वादी ने यह यह भी कथन किया कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की ओर राजीनामा पेश हो चुका है तथा शेष पक्षकारान् से वादी को कोई रिलिफ नहीं चाहिए तथा निवेदन किया कि, शरहद मड़ाम के खसरा नम्बर 146 रकबा 15.17 बीघा में से रकबा 11.00 बीघा की खातेदारी वादी के हक में घोषित की जावे।

मिसल पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। वाद में पक्षकारान् ने फोलोअप कैम्प में राजीनामा पेश कर दिया है व राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। वादी की रिलिफ केवल है कि, शरहद मड़ाम के खसरा नम्बर 146 रकबा 15.17 बीघा में से रकबा 11.00 बीघा की खातेदारी वादी के घोषित की जावे तथा शेष बदस्तूर रखी जावे।

मिसल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकनोपरान्त, अनुतोष वादी पर विचार किया गया। मिसल पर उपलब्ध सबूतों व पक्षकारान्

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 271 / 2017
दायर दिनाँक 26.09.2017, निर्णय दिनाँक 30.06.2018
रामकँवर बनाम् प्रहलादसिंह, वगैरा।

राजीनामा के मद्दे नजर, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाना अज अदालत के मतानुसार न्यायसंगत है।

अतः, बाद विवेचन, दावा, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मड़ाम के खसरा नम्बर 146 रक़बा 15.17 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी बदस्तूर जारी है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता हैं कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट, फोलोअप कैम्प–डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक :30.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट, फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 271/2017 दायर दिनाँक 26.09.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामकँवर पुत्री स्वर्गीय विजयसिंह पत्नी अर्जुनसिंह, उम्र–50साल, जाति–राजपूत, निवासी–मड़ाम, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. प्रहलादसिंह पुत्र विजयसिंह, 2. भगवानकँवर कँवर पत्नी जगदीशसिंह, 3. देशराजसिंह पुत्र जगदीशसिंह, 4. भरतसिंह पुत्र जगदीशसिंह, 5. अशोकसिंह पुत्र जगदीशसिंह, 6. गजेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह, 7. शिम्भुसिंह पुत्र नारायणसिंह, 8. सुमेरसिंह पुत्र लिछमणसिंह, 9. नाथूसिंह पुत्र खींवसिंह, 10.दिलीपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 11.शुभकरणसिंह पुत्र रघुवीरसिंह, 12.ममिलाकँवर पत्नी रघुवीरसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–मड़ाम, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13.रतनकँवर पुत्री विजयसिंह पत्नी तानसिंह, निवासी–मड़ाम, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–सेवदड़ा, तहसील–धोद, जिला–नागौर, राजस्थान, 14.किरणकँवर पुत्री विजयसिंह पत्नी रतनसिंह, निवासी–मड़ाम, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हाल,निवासी–हुडेरा, तहसील–फतेहपुर, जिला–सीकर, राजस्थान, 15.टँवरसिंह पुत्र श्योदानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सेवदड़ा, तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान, 16.कैलाशकँवर पुत्री श्योदानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सेवदड़ा,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		तहसील–धोद, जिला–सीकर, राजस्थान, 17.चेतनकँवर पुत्री श्योदानसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–सेवदड़ा, तहसील–धोद, जिला–नागौर, राजस्थान, 18.प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 19.प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 20.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 21.उप पंजीयक, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **30.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित श्री चेनाराम थोरी, वकील, वादी** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद **मड़ाम** के खसरा नम्बर 146 रकबा 15.17 बीघा भूमि में से रकबा 11.00 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी बदस्तूर जारी है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की आदेश वर्णित भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नीज़..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख़ को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 30.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

पदेन सहायक कलेक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट फालोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner